

मध्य प्रदेश शासन  
वित्त विभाग  
मंत्रालय

आदेश

भोपाल, दिनांक 03 मई, 2016

क. प्रावि/वि.स.स./संवित्त/2016/1388 राज्य शासन, एतद् द्वारा, प्रधान मंत्री जन धन योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय वित्तीय समावेशन समिति का निम्नानुसार गठन करती है:-

1. नोडल आफिसर, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार -सदस्य
2. मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक -सदस्य
3. महाप्रबंधक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया -सदस्य
4. महाप्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक -सदस्य
5. महाप्रबंधक, इलाहाबाद बैंक -सदस्य
6. महाप्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा -सदस्य
7. महाप्रबंधक, बैंक ऑफ इण्डिया, -सदस्य
8. मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल, मध्य प्रदेश -सदस्य
9. आयुक्त, संस्थागत वित्त -सदस्य
10. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति -सदस्य सचिव

2/- उक्त समिति द्वारा भारत सरकार के पत्र क. 226/2011-एफआई दिनांक 15-03-2016 द्वारा निर्धारित चेक-लिस्ट (प्रति संलग्न) के अनुरूप समीक्षा की जायेगी।

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार



(अमित राठौर)

सचिव, मध्य प्रदेश शासन


वित्त विभाग

भोपाल, दिनांक 03 मई, 2016

पृ.क. प्रावि/वि.स.स./संवित्त/2016/1389

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, मा0 मंत्रीजी, वित्त विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. समिति के अध्यक्ष एवं समस्त सदस्यगण की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



सचिव

मध्य प्रदेश शासन

वित्त विभाग